



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-24012026-269574  
CG-TL-E-24012026-269574

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 335]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 2026/माघ 3, 1947

No. 335]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2026/MAGHA 3, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 23 जनवरी, 2026

**का.आ. 363(अ).**—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, तेलंगाना राज्य के वरंगल जिले में नेक्कोंडा मंडल और गांव में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - ' काज़ीपेट - डोर्नकल सेक्शन में नेक्कोंडा टीएसएस का निर्माण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अधिग्रहण), अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी, नरसमपेट मंडल को लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी,

नरसमपेट मंडल आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

**अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण :** तेलंगाना राज्य वरंगल जिले में नेक्कोंडा गांव और मंडल में 3000 एमटी लोडिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत कर्षण प्रणाली का 1x25केवी से 2x25केवी में उन्नयन कार्य - काज़ीपेट – डोर्नकल सेक्शन में नेक्कोंडा टीएसएस के निर्माण हेतु।

क्र.सं.	मंडल का नाम और गांव	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्र	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	एंजॉयर का नाम	क्षेत्र (एकड़-गुंटा)	संरचना/ अभ्युक्ति
1	नेक्कोंडा	25	0.23	पट्टा	शुष्क	वाकिटि गौरम्मा पत्नी सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.0625	इलेक्ट्रिकल हाई-टेंशन पोल
						वाकिटि रजिता पत्नी सुनील (स्वर्गीय) वाकिटि यमुना पत्नी सुनील (स्वर्गीय)	0.10	
						वाकिटि सारय्या सुपुत्र सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.0475	
						वाकिटि गौरम्मा (डोंका) पत्नी सम्मय्या (स्वर्गीय) वाकिटि सारय्या (डोंका) सुपुत्र सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.02	प्रस्तावित डोंका रास्ता
						<b>उप-योग</b>	<b>0.23</b>	
2	नेक्कोंडा	13	0.39	पट्टा	शुष्क	गोसुला भद्रय्या सुपुत्र वीरय्या	0.15	
						गोसुला मधुकर और देवेन्द्र सुपुत्र वीरय्या	0.24	
						<b>उप-योग</b>	<b>0.39</b>	
3	नेक्कोंडा	32/1	0.16	सरकारी	शुष्क	वाकिटि गौरम्मा पत्नी सम्मय्या (स्वर्गीय)	0.06	
						गोसुला भद्रय्या सुपुत्र वीरय्या	0.01	
						गोसुला मधुकर और देवेन्द्र सुपुत्र वीरय्या	0.09	
						<b>उप-योग</b>	<b>0.16</b>	
						<b>सकल योग</b>	<b>एकड़ 1.38 गुंटा</b>	

[फा. सं. W.Con/182/SRP/TSS/NKD/20A]

सुनील कुमार वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-IV

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 23rd January, 2026

**S.O. 363(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for Up-gradation work of Electric Traction System from 1x25kV to 2x25KV to meet 3000 MT loading target Construction of Nekkonda TSS in Kazipet – Dornakal section at Nekkonda village and mandal of Warangal District in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty (30) days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act.

Every such objection, shall be made to the Competent Authority(LA), namely, Revenue Divisional Officer Narsampet Division in writing and shall be set out the grounds there of and the Competent Authority Revenue Divisional Officer Narsampet Division shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority for Land Acquisition(CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority for Land Acquisition under sub section (ii) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority(LA).

**SCHEDULE**

**Description of lands in Acquisition:** For Up- gradation work of Electric Traction System from 1x25kv to 2x25kv to meet 3000 MT loading target – Construction of Nekkonda TSS in Kazipet – Dornakal section at Nekkonda Village and Mandal of Warangal District in the state of Telangana.

S. No.	Name of the Mandal & Village	Sy. No	Extent	Type of land	Nature of land	Name of the enjoyer	Extent (Ac-Gts)	Structure/ Remarks
1	Nekkonda	25	0.23	Patta	Dry	Vakiti Gouramma W/o Sammaiah(late)	0.0625	Electrical High-Tension pole
						Vakiti Rajitha W/o Sunil (late)	0.10	
						Vakiti Yamuna W/o Sunil (late)		
						Vakiti saraiah S/o Sammaiah (late)	0.0475	
						Vakiti Gouramma (Donka) W/o Sammaiah (late)	0.02	Proposed Donka Daari
						Vakiti Saraih (Donka) S/o Sammaiah (late)		
						<b>Sub Total</b>	<b>0.23</b>	
2	Nekkonda	13	0.39	Patta	Dry	Gosula Bhadraiah S/o Veeraiah	0.15	
						Gosula Madhukar & Devender S/o Veeraiah	0.24	
						<b>Sub Total</b>	<b>0.39</b>	

3	Nekkonda	32/1	0.16	Govt	Dry	Vakiti Gouramma W/o Sammaiah (Late)	0.06	
						Gosula Bhadraiah S/o Veeraiah	0.01	
						Gosula Madhukar & Devender S/o Veeraiah	0.09	
						<b>Sub Total</b>	<b>0.16</b>	
						<b>Grand Total</b>	<b>Ac 1.38 Gts</b>	

[F. No. W.Con/182/SRP/TSS/NKD/20A]

SUNIL KUMAR VERMA, Chief Engineer/Con-IV